(102)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

R 707-III/02

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक.   /07 निगरानी

श्री एस- पी- बहादुर एड
द्वारा आज दि० 17-5-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव,
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

(S.P.Dhakad)
17.5.07 सिवि

अनुसुईया सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी ग्राम उपनी तह. गोपद बनास जिला सीधी म.प्र.

.........आवेदक

बनाम

अवधराज सिंह मृतक के वैध वारिस :—

1. खुनखुनिया देवी वेबा स्व. श्री अवधराज सिंह
2. नागेन्द्र सिंह } पुत्रगण स्व. श्री अवधराज सिंह
3. समर बहादुर सिंह }
4. मलाधर देवी } पुत्रीगण स्व. श्री अवधराज सिंह
5. प्रेमा देवी }
6. सरोज सिंह वेबा विष्णु बहादुर सिंह

सुदामा सिंह मृतक के वैध वारिसान :—

7. रामरती वेबा स्व. श्री सुदामा सिंह
8. सीताशरण सिंह पुत्र स्व. श्री सुदामा सिंह
9. दल बहादुर सिंह } पुत्रगण स्व. श्री सुदामा सिंह
10. समर बहादुर सिंह }
11. प्रतापनारायण सिंह }
12. श्रीमती गोमती } पुत्री स्व. श्री सुदामा सिंह
13. श्रीमती कमला }
14. श्रीमती विमला }
15. कुमारी अर्चना } पुत्री लाल बहादुर सिंह
16. कुमारी कल्पना }

राजमणि सिंह मृतक के वैध वारिसान :–

17.लेखराज देवी वेबा स्व. श्री राजमणि सिंह

18.रण बहादुर सिंह } पुत्र स्व. श्री
19.आनंद बहादुर सिंह } राजमणि सिंह

20.आशा देवी } पुत्री स्व. श्री
21.निर्मला देवी } राजमणि सिंह

निवासीगण उपनी तह. गोपद वनास जिला सीधी म.प्र.

22.रामरती वेबा स्व. श्री रघुनाथ राम

23.महावीर राम } पुत्रगण श्री
24.शिवसेवक राम } रघुनाथ राम

25.गंगाराम } पुत्रगण श्री रामस्वरूप
26.मोहन राम } राम

रामस्वरूप उर्फ छोटेराम मृतक के वारिसान :–

27.नेपालू देवी वेबा स्व. श्री रामसजीवन

28.उर्मिला देवी }
29.रेखा देवी } पुत्री स्व.
30.शीला देवी } रामसजीवन

31.अयोध्या प्रसाद } पुत्रगण स्व. श्री
32.शिवकुमार राम } रामसजीवन

निवासीगण ग्राम मडवा तह. गोपद वनास जिला सीधी म.प्र.

33.फक्कड़राम पुत्र श्री झलरराम ब्राह्मण निवासी मिश्रगवां तह. गोपद वनास जिला सीधी म.प्र.

...........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रक. 314/निगरानी/06–07 में पारित आदेश निर्णय दिनांक 13–2–07 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 707–तीन / 2002 निगरानी   जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-09-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 314 / 06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–2–2007 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक अधिकार अभिलेख अधिकारी सीधी व्दारा ग्राम उपनी का पुराना सर्वे नंबर 286, 287 नया 224 पर से आवेदक ने कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील कमांक 42 / 2000–01 प्रस्तुत की, जिसमें अनावेदकगण ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हितबद्व होना बताते हुये पक्षकार बनाये जाने की मांग की। कलेक्टर सीधी ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 42 / 2000–01 अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 30–11–2006 पारित किया तथा अनावेदकगण का पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 314 / 06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–2–2007 से निगरानी स्वीकार की एंव कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 30–11–06 निरस्त करके अनावेदकगण को पक्षकार बनाये जाने एंव सुने जाने हेतु निर्देश दिये। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुन गए। अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।	

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 13–2–2007 में विवेचना करते हुये अंकित किया है कि दोनों पक्षों के बीच वाद विचारित भूमि को लेकर स्वत्व का वाद माननीय व्यवहार न्यायालय में लम्बित है और जब अनावेदकगण व्यवहार न्यायालय में पक्षकार हैं तब वादग्रस्त भूमि से उनके भी हित जुड़े होने के कारण कलेक्टर सीधी को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देना चाहिये, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 314/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–2–2007 से निगरानी स्वीकार करते हुये कलेक्टर सीधी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में भूल नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 314/06–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–2–2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य